न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 257/2024

अनवान : –

1. हाकम अली पुत्र हनीफ खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जैतुन पुत्री हनीफ खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
2. जरीना पुत्री हनीफ खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
3. नूरसलाम पुत्री हनीफ खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
4. बलकीसा पुत्री हनीफ खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
5. युनस अली पुत्र हनीफ खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
6. याकुब अली पुत्र हनीफ खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
7. सरीया पुत्री हनीफ खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 22/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि सायल व गैरसायलान की संयुक्त खाते की खातेदार कृषि भूमि रोही मौजा जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 15/16 के खसरा संख्या 14 की कुल 4.7800 है० कृषि भूमि तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 309/279 के खसरा नं. 192, 193/2, 288/1, 292 कुल खसरे 4 की कुल तादादी 3.7940 है० कृषि भूमि उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में सायल व गैरसायल संख्या 5 व 6 प्रत्येक का 2/9 हिस्सा, [illegible]सायल संख्या 1 ता 4 व 7 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा भूमि के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से तथा उक्त भूमि संयुक्त दर्ज रहने से भूमि के कब्जा काश्त व लगान बाबत सायल व गैरसायल का विवाद रहता है। अप्रार्थीगण

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संयुक्त खाता में भूमि होने के कारण अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होकर अजनबी क्रेतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 15/16 की कुल 4.7800 है० कृषि भूमि तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 309/279 की कुल 3.7940 हैक्ट में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एंव उक्त वाद भूमि बाबत माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं माननीय सिविल न्यायालय में दीवानी वाद स0 10/2025 अनवानी जैतुन बनाम याकुब विचाराधीन है इसलिए जब तक हकों का निर्धारण नही हो जाता तब खाता व लगान अलग नही किया जा सकता है प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कियाा जाना उचित नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोगीआसन नं. 2 तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 15/16

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कुल 4.7800 है० कृषि भूमि तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 309/279 की कुल 3.7940 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 14.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक......22/01/26......मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested